ResearchPro International Multidisciplinary Journal

Vol- 1, Issue- 2, October-December 2025 ISSN (O)- 3107-9679

Email id: editor@researchprojournal.com Website- www.researchprojournal.com

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभावः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

महेन्द्र प्रताप सिंह

शोधार्थी समाजशास्त्र, अकबरपुर डिग्री कॉलेज अकबरपुर, कानपुर देहात

डॉ0 रश्मि पाण्डेय

असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, अकबरपुर डिग्री कॉलेज, अकबरपुर, कानपुर देहात

सारांश

भारत में, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, पारंपरिक ईंधन के इस्तेमाल के कारण बहुत–सी महिलाओं के लिए रोजाना खाना बनाने का काम उनके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा रहा है। भारत में वर्ष 2014 तक लगभग 10 करोड़ परिवारों को स्वच्छ एलपीजी ईंधन नहीं मिलता था और वे रसोई ईंधन के रूप में जलाने की लकड़ी, उपले, कृषि अपशिष्ट और चारकोल आदि जैसे पारम्परिक बायोमास ईंधनों का इस्तेमाल करते थे। इन ईधनों से निकलने वाले जहरीले धुएँ में जहरीले पदार्थ और हानिकारक रसायन होते हैं जो आंखों और फेफड़ों के लिए हानिकारक होते हैं जिससे निमोनिया और लंबे समय तक चलने वाली फेफड़ों की बीमारियां और सांस की बीमारी होती है। धुएँ में कैंसरकारी तत्व भी होते हैं जो फेफड़ों के कैंसर का कारण बनते हैं। रसोई के इस हानिकारक धुएँ से महिलाओं के अलावा बच्चों को भी परेशानी होती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के वैश्विक पर्यावरण स्वास्थ्य के प्रोफेसर स्वर्गीय प्रोफेसर किर्क स्मिथ के अनुसार इस हानिकारक धुएँ को अंदर लेना प्रति घंटे 400 सिगरेट पीने के बराबर है। महिलाओं और बच्चों को भी दूर–दूराज और सुनसान जगहों पर ईधन की लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ता था जो न केवल एक कठिन काम था अपितु व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से भी जोखिम भरा था। भारतीय महिलाओं को इस नीरस काम से बचाने और उनके जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। स्वच्छ रसोई ईधन उपलब्ध करवा कर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी ताकि उन्हें धुएँ से भरी रसोई में अपने स्वास्थ्य से समझौता न करना पड़े। दिनांक 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएमयूवाई योजना शुरू की थी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को शुरू में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर अग्रिम राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया था। इस योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। बाद में बजट से 4800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करके योजना के लक्ष्य को संशोधित करके 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया।

प्रस्तावना

भारतीय ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान

किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करना, वायु प्रदूषण में कमी एवं स्वास्थ्य संवर्धन करना है। ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक ईंधन का प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है जिससे वायु प्रदूषण एवं विभिन्न प्रकार कि श्वास सम्बन्धी बीमारियों होने कि संभावना बढ़ जाती है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए सब्सिडी देती है जिससे उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो सके। इस योजना का महिलाओं के सशक्तिकरण एवं एक स्वास्थ्य समाज बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वच्छ ईंधन का प्रयोग पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता है।

भारत देश दुनिया में आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। साथ ही साथ इतना विकास होने के फलस्वरूप आज भी समाज के बहुत सारे लोग जीवन की जरूरी बस्तुएं जैसे– रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जीवन को बनाये रखने के क्रम में सबसे पहला स्थान रोटी का आता है। भारत में आज भी ग्रामीण इलाको में भोजन पकाने के लिए परम्परागत ईंधन जैसे–लकड़ी गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन के प्रयोग करने से एक घंटे में 400 सिगरेट पीने जितना नुकसान भोजन पकाने वाले व्यक्ति को होता है (रमन देवी, 2017)। स्वास्थ्य के जानकर कहते हैं कि लकड़ी आदि जलने से उठने वाले धुंए में हानिकारक तत्व पाए जाते हैं जो कई जानलेवा रोगों को जन्म देते हैं। भोजन पकाने की यह पूरी प्रक्रिया न सिर्फ स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है के बल्कि पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है। महिलाओं की समस्याओं एवं अस्वच्छ ईंधन के प्रयोग से होने वाले हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारम्भ किया। यह योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में प्रध ानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली एवं केन्द्रीय तेल मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के टिप्पणियों को भी दिखाया है एवं रसोई गैस के मांग और उपभोग कि भी चर्चा की गई है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य था जिसे 3 साल में यानि कि 2019 तक पूरा किया जाना था बाद में इस योजना का लाभ 8 करोड़ करोड़ परिवारों तक पहुँचाने का लक्ष्य 2020 तक रखा गया। जिससे यह योजना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस योजना के लागू होने से ग्रामीण महिलाओं का जो समय पारंपरिक ईंधन लकड़ी, गोबर के उपले, फसलों के अपशिष्ट आदि इकट्ठा करने में लगता था वह अब किसी अन्य सामाजिक आर्थिक कार्य में लगता है जिससे उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक ईंधन से भोजन पकाने में बहुत सारे धुंए का सामना करना पड़ता था जिससे उन्हें स्वांस सम्बन्धी, फेफड़े से सम्बंधित, आँख सम्बन्धी एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता था। घर के अन्दर वृद्ध, गर्भवती महिला और बच्चें हैं तो उन पर ये हानिकारक धुंआ अत्यधिक खतरनाक प्रभाव डालता है। इस योजना में गैस कनेक्शन महिला के नाम से ही जारी होता है। लाभार्थी महिला का राष्ट्रीय बैंक का खाता रसोई गैस कनेक्शन से जोड दिया जाता है जिसमें गैस की सब्सिडी दी जाती है जो दोबारा गैस भरवाने में काम आती है। सब्सिडी महिला के बैंक खाते में आने से परिवार में उसकी भागीदारी निर्णय लेने में बढ़ जाती है और जो महिला पहले घर के कामों में ही लगी रहती थी। अब वह अपने घर के आँगन से निकल कर बाजार तक सब्सिडी का रुपये निकलने के लिए जाती है जिससे उसकी पहुँच न सिर्फ बाजार तक हुई है बल्कि उनका इसी बहाने सशक्तिकरण भी हो रहा है। किसी भी समाज को प्रगति करने के लिए उसका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं, बच्चों एवं घर के वृद्धों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। पारंपरिक ईंधन के प्रयोग को बंद करके अब गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवार रसोई गैस का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में मदद मिली है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कि व्यावहारिक चुनौतियाँ

इस योजना में लाभार्थी के चयन करने के लिए मात्र BPL सूची एवं SECC सूची 2011 का प्रयोग किया गया है जबकि बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो इन दोनों सूचियों में नाम न होने से उनको गैस कनेक्शन नहीं मिल पाता है। सरकार जो सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में डालती है उसे सीधे तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी को

दे तो लाभार्थी पर इसका बोझ कम पड़ेगा और लाभार्थी जल्दी–जल्दी गैस को दोबारा भरवाने के लिए उत्साहित गैस कनेक्शन जारी हुए हैं। उनमें से कितने लाभार्थी दोबारा गैस भरवा रहे हैं। सरकार ने महिलाओं को गैस उपयोग करने के लिए जागरूक करने की व्यवस्था की है। रसोई गैस पर भोजन पकाते समय क्या–क्या सावध ाानियाँ बरतनी है तथा आग लगने पर सब बातों की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान कर उन्हें धुंए भरी जिंदगी से स्वतंत्रता दिलाई है। यह योजना गरीब महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। अब महिलाओं को भोजन पकाने से जो समय बचता है उसे वें अपने जीवन के किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में लगा सकती हैं जिससे उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता है। इस योजना ने महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस योजना ने न सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान किया है बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में हमारी मदद की है। महिलाओं को भोजन पकाने में न सिर्फ आसानी हुई है बल्कि उन्हें धुंए में भोजन पकाने एवं लकड़ी गोबर के उपले बनाने जैसी पारंपरिक ईंधन को एकत्रित करने से भी मुक्ति मिल गई है। स्वस्थ समाज एवं स्वच्छ पर्यावरण बनाने में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना ने स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के नारे को सही चरित्रार्थ कर दिया है। यह योजना गरीब परिवार में रोशनी बनकर आई है। इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। योजना बहुत अच्छी है पर जमीनी स्तर पर कुछ समस्याएं इसे लागू करने में आ रही हैं।

उपभोक्ताओं को एक मंच प्रदान किया जहां वे एक दूसरे से अपने विचार साझा कर सकें, अपना अनुभव बांट सकें और मिलकर काम करने की भावना से आगे चल सकें। चूंकि अधिकांश पीएमयूवाई लाभार्थी एलपीजी का प्रथम बार इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ता थे, अपने घरों में एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में उन्हें शंका थी। इसलिए पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच इसके सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसके द्वारा एलपीजी के माध्यम से विभिन्न पणधारकों को आपस में जोड़ा गया जैसे तेल विपणन कंपनियों के अधिकारीगण, वितरक, मैकेनिक, डिलिवरीमैन, आदि। एलपीजी पंचायतें उपभोक्ताओं को यह अवसर उपलब्ध कराती हैं कि वे उनके साथ चर्चा करें और अपने प्रश्नों को पूछें तथा शंकाओं का निवारण करें। एलपीजी पंचायतों में एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में एक सोच पैदा की गई और परंपरागत ईंधनों की तुलना में एलपीजी के उपयोग के फायदे बताए गए।

भारत सरकार का लाभार्थियों तक कनेक्शन पहुंचाने का कार्यक्रम

वंचित परिवारों तक कनेक्शन पहुंचाना एक कठिन कार्य था क्योंकि अधिकांश परिवार ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले थे। चुनौती यह थी कि लाभार्थी की सही पहचान की जाए ताकि वंचित परिवारों को इसका लाभ मिल सके। लाभार्थियों की पहचान करने और योजना के तहत उनका नामांकन करने के लिए एलपीजी वितरकों और उस इलाके में कार्य करने वाले तेल विपणन कंपनियों के दल के बीच बेहतर तालमेल के साथ यह कार्य किया गया। इसके अलावा तेल विपणन कंपनियों ने प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की ताकि जमीनी आधार पर योजना की प्रगति पर निगरानी रखी जा सके और सही ढंग से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

योजना के तहत वित्तीय सहायता :लंबे समय तक एलपीजी का उपयोग करने की बाधाओं में से एक बाधा इसकी अधिक जमानती लागत थी। इस बाधा को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों को 1600 रुपए प्रति कनेक्शन की नकद सहायता प्रदान की गई थी जिसमें कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सिलेंडर, प्रेशर रेग्यूलेटर, एलपीजी होज, उपभोक्ता कार्ड और कनेक्शन लगाने का शुल्क शामिल था। इसके अलावा, लाभार्थियों को चूल्हे और पहले रीफिल की लागत के लिए ऋण का विकल्प दिया गया था। कुल 6.24 करोड़ परिवारों (78%) ने ऋण सुविधा का लाभ उठाया।

योजना के तहत जारी किये गये प्रति कनेक्शन पर उपलब्ध करवाई गई नकद सहायता के ब्यौरे

	14.2 कि.ग्रा	5 कि.ग्राम
सिलिंडर का अग्रिम राशि	1200.00	800.00
प्रेशर रेगुलेटर की जमानत राशि	150.00	150.00
एलपीजी होज	100.00	100.00
घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड	25.00	25.00
कनेक्शन लगाने के शुल्क	75.00	75.00
योग	**1600.00**	**1150.00**

नामांकन प्रक्रियाः बीपीएल परिवार की ऐसी महिला, जिसके पास अपने घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, पीएमयूवाई योजना के तहत नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकती है। ऐसा करने के लिए उसे ''अपने ग्राहक को पहचानिए'' वितरक के पास उसे जमा करना होगा। केवाईसी आवेदन प्रस्तुत करते समय लाभार्थी को पता, राशन कार्ड, आधार नंबर और बैंक खाते के प्रमाण का ब्यौरा देना होगा।

(केवाईसी) आवेदन पत्र भरकर अपने निकटतम

सुरक्षा– सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने पर ही एलपीजी के फायदे मिल सकते हैं। किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए, प्रत्येक लाभार्थी को एक सुरक्षा कार्ड दिया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि एलपीजी उपयोग के बारे में क्या करें और क्या न करें।

पर्यावरण–पारंपरिक रसोई ईंधन जैसे लकड़ी और कोयले के उपयोग का पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बायोमास से उत्पन्न कालिख और धुआं हानिकारक है। बायोमास के उपयोग से वनों की कटाई बढ़ती है और पर्यावरण खराब होता है।

सशक्तिकरण– प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जैसे स्वच्छ ऊर्जा का अधिकार और नीरस कार्य, धुएँ और खराब स्वास्थ्य से मुक्ति का अधिकार। अपनी शुरुआत के बाद से, यह योजना धीरे–धीरे लगातार देश भर में लाखों महिलाओं के जीवन को बदल रही है।

सामर्थ्य–उपलब्धता–अनुकूलता पर ध्यान दिया जानाः पीएमयूवाई लाभार्थियों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने का प्रयोजन, तीन स्तंभों– सामर्थ्य, उपलब्धता, अनुकूलता पर निर्भर है।

सामर्थ्य– चूंकि पीएमयूवाई लाभार्थी निम्न सामाजिक– आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं ऐसी स्थिति में अधिक मूल्य वाली एलपीजी रीफिल खरीदना प्रायः उनके लिए कठिन होता है। एलपीजी के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

- सब्सिडी के माध्यम से ऋण वसूली में ढील।
- रीफिल की अग्रिम लागत को कम करने के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडर का रीफिल विकल्प।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत निःशुल्कं रीफिल योजना का विकल्प।

उपलब्धता– पीएमयूवाई के अधिकतर लाभार्थी ग्रामीण और दूर–दराज इलाके से आते हैं, अपने एलपीजी वितरक से काफी दूर होते हैं। उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

- 6000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केन्द्रो को चालू किया जाना।
- सामान्य सेवा के माध्यम से बुकिंग की सुविधा।
- एलपीजी बॉटलिंग क्षमता में बढ़ोतरी।
- अतिरिक्त बॉटलिंग संयत्रों को चालू किया जाना।

अनुकूलता– इस योजना और एलपीजी के इस्तेमाल के लाभ के संबंध में जागरुकता बढ़ाने के लिए जन अभियान चलाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से घर–घर तक अभियान चलाने के लिए एसएचजीज/एसडीपीज/एनजीओज की सहायता ली गई है जिससे एलपीजी उपयोग को बढ़ावा मिला है।

योजना की वैश्विक स्तर पर पहचान

- इस योजना को पर्यावरण संवर्धन और महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा ''महत्वपूर्ण उपलब्धि'' के रूप में सराहा गया है।

ध पूरे भारत में वर्ष 2020 तक एलपीजी उपलब्ध करवाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह ऊर्जा संबंधी विषय नहीं है, यह एक आर्थिक विषय है, यह एक सामाजिक विषय है।

कार्यकारी निदेशकः वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट में भी पीएमयूवाई की प्रशंसा की गई थी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि दुनिया भर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है तो वहीं कुछ देशो ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इससे निपटने के लिए उपाय शुरू किए हैं।

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार 'हालाकि नवीनतम आँकड़े यह दर्शाते है कि दुनिया के अधिकतर भागों में वायु प्रदूषण अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, वहीं इस दिशा में कुछ सकारात्मक प्रगति भी हुई है। कई देश, जहरीले पदार्थ से होने वाले वायु प्रदूषण का निवारण और उसकी रोकथाम करने के उपाय कर रहें है। उदाहरण के लिए, पिछले दो वर्षों में भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वाली 3.7 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है ताकि वह स्वच्छ घरेलू ऊर्जा के उपयोग की ओर अग्रसर हो सकें।'

सम्बन्धित साहित्य

उज्ज्वला गैस योजना के विषय में तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण पर पड़ने वाले इसके प्रभावों को समझने के लिए शोधार्थी ने विभिन्न समसामयिक लेखों, शोध प्रपत्रों का अध्ययन किया। रमन देवी (2017) ने अपने शोध लेख Pradhanmantri Ujjwala Yojana: Issues and Challenge में विश्व स्वास्थ्य संगठन कि रिपोर्ट के आधार पर पारंपरिक ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभावों पर प्रकाश डाला है, इन्होंने पारम्परिक ईंधनों जैसे लकड़ी, गोबर के उपले आदि पर खाना पकाने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित किया है। इस लेख के अनुसार भारत में गरीबों तक गैस पहुँचाना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे समय की बचत होगी तथा साथ ही स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एन. अहमदश्लग्या शर्मा, डॉ. अंजनी कुमार सिंह (2018) ने सम्मिलित रूप से लिखें आपने अपने एक लेख "Pradhanmantri Ujjwala Yojana (PMUY) Step towards social inclusion in India" में यह रेखांकित किया है कि यह योजना गरीबों के लिए समावेशी उपक्रम कि ओर बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है। इस योजना के लागू होने से न सिर्फ गरीब महिलाओं को अस्वच्छ ईंधन एकत्रित करने से मुक्ति मिली है बल्कि भोजन पकाने में जो समय लगता है उसमें भी कमी आयेगी। इस शोध लेख के माध्यम से ये बताया गया है कि यह योजना क्या है? किसको इसका लाभ मिलेगा? इस योजना के लागू होने से क्या लाभ है? इस योजना का महिला सशक्तिकरण, स्वस्थ समाज बनाने में एवं स्वच्छ पर्यावरण बनाने में योगदान की भी चर्चा की है। विवेक आनंद (2018) ने अपने लेख "Two years of Ujjwala Yojana: Dalits in western UP and benefits despite resentment against centre on other issues" में योजना के जमीनी स्तर पर पड़ने वाले पभावों को रेखांकित करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर व्यापक प्रभाव को स्वीकारा। इन्होने अपने लेख में जमीनी स्तर पर किये गए सर्वे के आधार पर महिलाओं की इस योजना के पक्ष में मुखर प्रतिक्रिया को सामने रखा है। इस शोध लेख में योजना के बारे में व्यापक चर्चा कि गई है। कुंदन पाण्डेय जीतेन्द्र प्रियरंजन शाहू और पुरुषोत्तम ठाकुर (2018) ने अपने एक सम्मिलित शोध लेख "Ujjwala scheme: Are cleaner cooking fuels affordable and accessible" में इस योजना को परिदृश्य बदलने वाली योजना बताया, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए गैस सिलेंडर को पुनः भरवाने कि असमर्थता को प्रकाश में लाते हुए इस योजना कि आलोचना की। यद्यपि इन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव से इसे जोड़ा और इस बात पर भी चर्चा किया कि यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है।

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। पीएमयूवाई ने लाभार्थियों और उनके परिजनों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला है। एलपीजी अपनाने का फायदा, इन परिवारों की आने वाली पीढ़ियों को भी मिला है।

कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार है–

• परिवारों के लिए प्रत्यक्ष स्वास्थ्य संबंधी लाभ और ब्रोनकाइटिस, अस्थमा, इंफ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरोक्यूलसिस एवं अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों तथा घरेलू वायु प्रदूषण (एचएपी) के संपर्क में आने से होने वाले संक्रमण से आजादी।

• एलपीजी के उपयोग ने खाना पकाने के ईंधन के इकट्ठा करने में नीरसता को कम किया है। इसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र से वैकल्पिक जुड़ाव, अन्य उत्पादक श्रमिक कार्यकलापों एवं सामाजिक गतिविधियों लघु व्यवसाय, अंशकालिक नौकरियां, सामाजिक गतिविधियाँ, वित्तीय लाभ प्राप्त करने के अन्य अवसर, परिवार कल्याण के लिए बेहतर समय देना एवं स्वयं/बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर खुलें हैं।

• अप्रभावी ठोस ईंधनों द्वारा मीथेन, ब्लैक कार्बन और जैविक कार्बन जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी।

• चूंकि, कनेक्शन परिवार की महिलाओं के नाम से जारी किया जाता है, अतः पीएमयूवाई ने उन्हें सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूप में सशक्त बनाया है।

• महिला सशक्तिकरण के माध्यम से पीएमयूवाई, अधिकारों, पहुंच सुनिश्चित करने एवं आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित लैंगिक असमानता की खाई को पाटने का काम किया है।

जिला कलेक्टरः प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार करने, योजना लागू करने तथा नियमित मॉनिटरिंग का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा, जैसे–

1. एनआईसी द्वारा तैयार किये गये वेब एप्लीकेशन में वन, खनिज तथा श्रम विभाग के हितग्राहियों की मैपिंग, निधि के उपयोग हेतु भौगोलिक क्षेत्र का चिन्हांकन तथा निधि में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
2. योजना हेतु राज्य स्तरीय खाते में जिला खनिज निधि से राशि का वितरण करना।
3. विभिन्न विभाग के हितग्राहियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्रायोजित कराना एवं इनका त्वरित परीक्षण कराकर वितरकों के जरिये डि–डुप्लीकेशन हेतु अपलोड कराना।
4. समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों/स्थानीय निकायों/गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
5. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 2011 सूची में वचन सूचकांक अनुसार सूची, सभी स्थानीय निकायों में उपलब्ध कराना। यह सूची खाघ्द्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक मॉड्यूल में उपलब्ध कराई गयी है।
6. पात्र हितग्राहियों का आधार पंजीयन तथा बैंक खाता खोलने (आधार लिंकेज के साथ) हेतु सुविधा उपलब्ध कराना।
7. डि–डुप्लीकेशन तथा गैस कनेक्शन जारी करने के लिये गैस एजेंसियों में आवेदन पत्रों का विवरण शीघ्रता से अपलोड कराना।
8. योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन के लिये अनुमोदित सूची में से जिले में विभिन्न विभागों हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्ध निधि (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि संयुक्त वन प्रबंधन कोष) के अनुसार हितग्राही अनुमोदित हुए है अथवा नहीं, की समीक्षा करना।
9. साथ ही उन्हें इस बात का प्रशिक्षण दिया जाये कि वे हितग्राहियों को घरेलू एलपीजी के उपयोग से होने वाले फायदों के सम्बन्ध में बता सकें एवं पारंपरिक ईंधन के स्रोतों जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला, बायोमास के स्थान पर एलपीजी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर सकें।
10. एलपीजी के सुरक्षित उपयोग हेतु प्रशिक्षण एवं पर्याप्त प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराना।
11. ग्राम/वार्ड में मॉडल किचन स्थापित करना तथा मॉडल किचन के माध्यम से हितग्राहियों को गैस स्टोव, सिलेण्डर लगाने की प्रक्रिया तथा एलपीजी उपयोग करने के सुरक्षात्मक उपाय का हितग्राहियों के समक्ष में प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना।
12. योजना का ग्रामसभा के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण कराना।

एलपीजी के उपयोग की निरंतरता बनाये रखने की व्यवस्था

1. तेल विपणन कम्पनियों वितरकों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगी कि सिलिंडर रिफिल की सेवा निर्बाध एवं निरंतर बनी रहे।
2. स्व–सहायता समूहों संयुक्त देयता समूहों को उनके सदस्यों के घद्वितीय एवं उसके बाद रिफिल कराने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि यदि आवश्यकता हो, तो रिफिल सिलिंडरों के लिए धन की कमी निरंतर एलपीजी उपयोग के लिए बाधक न बने।

सुरक्षित संस्थापन

1. एलपीजी कनेक्शनो के सुरक्षित संस्थापन के लिए एलपीजी वितरक कुशल मैकेनिक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी उपयोगकर्ताओं को संस्थापन सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर महिला मैकेनिकों के दस्ते तैयार करने का प्रयास करेंगे।
3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कुशल मैकेनिक तैयार करने तेल विपणन कम्पनियाँ प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करेंगी एवं राज्य कौशल विकास मिशन से समन्वय स्थापित कर इस पाठ्यक्रम को विभिन्न जिलों में चलाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी। ऐसे पाठ्यक्रमों के आवश्यक सर्टिफिकेटधारी महिलाओं को एलपीजी वितरकों द्वारा नियुक्त किया जाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कनेक्शनों के साथ–साथ सामान्य कनेक्शनों के संस्थापन का कार्य लिया जा सकता है।

योजना के क्रियान्वयन में ऑयल कंपनी की सहभागिता–

1. राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर्स को पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराई जायेगी। ऑयल कंपनियों द्वारा अनुमोदित हितग्राहियों का विवरण एनआईसी द्वारा इस कार्य हेतु तैयार की गई वेब सर्विस के जरिये खाद्य विभाग के सर्वर में प्रतिदिन शाम तक उपलब्ध कराई जायेगी।
2. हितग्राहियों के घर में कनेक्शन एवं गैस स्टोव की स्थापना के बाद इनकी जानकारी प्रतिदिन खाद्य विभाग के सर्वर में भेजी जायेगी।
3. राज्य शासन को सब्सिडी क्लेम प्रस्तुत करने के पूर्व वितरकों द्वारा संस्थापित कनेक्शनों के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाई जाएगी।
4. वेब सर्विस का त्वरित एवं नियमित उपयोग कर ऑयल कंपनियों की वेबसाईट में उपलब्ध डेटा तथा खाद्य विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध डेटा के अंतर को न्यूनतम रखा जायेगा।
5. योजना के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति तथा इनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।
6. एलपीजी के सुरक्षित उपयोग हेतु योजना तथा राज्य स्तरीय प्रचार अभियान संचालित करना।
7. एलपीजी वितरकों द्वारा प्रदाय किये गये गैस स्टोव की गुणवत्ता, गैस कनेक्शन की स्थापना आदि की मॉनिटरिंग करना।
8. राज्य में एलपीजी वितरकों की संख्या तथा बॉटलिंग क्षमता में वृद्धि करना तथा एलपीजी वितरकों के जरिये सुविधा केन्द्र खोलना।
9. योजना के हितग्राहियों के बैंक खातों में एलपीजी का अनुदान प्रदाय करने के साथ–साथ प्रथम रिफिल के उपरांत बाद की रिफिल सेवा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बनाये रखने हेतु सेवा के उच्च गुणवत्ता को बनाये रखना।
10. सभी वितरकों के अधीन पर्याप्त संख्या में मैकेनिक रखने एवं सभी कनेक्शन प्रशिक्षित मैकेनिकों द्वारा स्थापित किया जाना सुनिश्चित करेंगी।
11. जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं निगरानी में मेला के जरिये योजना के हितग्राहियों को गैस कनेक्शनों का वितरण कराना।
12. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मैकेनिकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल का विकास कर राज्य कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी।

निष्कर्ष: स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में देश की यात्रा में पीएमयूवाई मील का पत्थर साबित हुआ है। इस योजना ने 8 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को धुएँ वाली रसोईयों से सफलतापूर्वक मुक्त किया है। उज्ज्वला, एक लोकप्रिय नाम बन गया है जो अब महिला मुक्ति एवं सशक्तिकरण का पर्याय हो गया है। कठिन परिश्रम और अस्वच्छ ईंधन के धुएँ से हर एक महिला को मुक्त कराने के अथक प्रयास में, सरकार ने अब उज्ज्वला के दूसरे चरण की घोषणा की है। ''उज्ज्वला 2.0'' के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा 1 करोड़

और पीएमयूवाई कनेक्शन जारी किए जाएंगें। इस कदम से स्वच्छ रसोई ईंधन तक जनसामान्य की पहुँच सुनिश्चित करने वाले युग की स्थापना होगी।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

सन्दर्भ सूची–

1. देवी, आर. (2017), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाः मुद्दे और चुनौतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 2, 705–706।
2. एन. अहमद, शर्मा, एस. एट अल. (2018), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) भारत में सामाजिक समावेशन की ओर कदम। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड अन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 5, 46–49।
3. रमन देवी (2017) Pradhanmantri Ujjwala Yojana: Issues and Challenges.
4. एन. अहमदश्लग्या शर्मा, डॉ. अंजनी कुमार सिंह (2018) "Pradhanmantri Ujjwala Yojana (PMUY) Step towards social inclusion in India"
5. विवेक आनंद (2018) "Two years of Ujjwala Yojana: Dalits in western UP and benefits despite resentment against centre on other issues"
6. कुंदन पाण्डेय जीतेन्द्र प्रियरंजन शाहू और पुरुषोत्तम ठाकुर (2018) "Ujjwala scheme: Are cleaner cooking fuels affordable and accessible"
7. आनंद. वी. (2018), उज्ज्वला योजना के दो सालः पश्चिमी यूपी में दलित भूमि लाभ समेत अन्य मुद्दों पर केंद्र के खिलाफ मुद्दे।
8. टी. अमोस और श्रीदेवी एन. (2017), भारत की केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना (पीएमयूवाई) योजना का आर्थिक मूल्यांकन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट रिसर्च, 9, 60747–60750।
9. देसाई ए0 आर0 (1964): भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, जयपुर : अनु0 रावत, रावत ब्रदर्स, राजस्थान।
10. दूबे, एस0 सी0 (1975): एक भारतीय ग्राम (अनु0 योगेश अटल), दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
11. लक्ष्मी राम (1977): एक ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य की दशाओं का समाज–वैज्ञानिक अध्ययन, वाराणसी : पी0एच0डी0, शोध प्रबन्ध, समाजशास्त्र विभाग, बी0 एच0यू0।
12. https//www.india.gov.in/spotlight/pradhan.mantri.ujjwala.yojana#tab/tab.1 IJORT
13. http//petroleum.nic.in/sites/default/files/pmuy.pdf

Cite this Article

"महेन्द्र प्रताप सिंह; डॉ0 रश्मि पाण्डेय", "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभावः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन", ResearchPro International Multidisciplinary Journal (RPIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:1, Issue:2, October-December 2025.

Journal URL- https://www.researchprojournal.com/

DOI- 10.70650/rpimj.2025v1i200005